



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20032025-261776  
CG-DL-E-20032025-261776

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1295]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 2025/फाल्गुन 28, 1946

No. 1295]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 2025/PHALGUNA 28, 1946

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2025

का.आ. 1311(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4743 तारीख 29/10/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले में कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे NE-6 के कि.मी. 28.050 से कि.मी. 73.700 तक के भू-खण्ड के निर्माण (4 लेन /6 लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख नवम्बर, 2024 "को हिन्दुस्तान (हिन्दी)" में और इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) "अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दें दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले में कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे NE-6 के कि.मी. 28.5 से कि.मी. 71.3 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: उन्नाव		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: पुरवा					
गांव का नाम: काँथा					
1	4189	निजी	कृषि	0.038	विपिन सिंह विवेक सिंह अरूण सिंह पुत्रगण जगदीश सिंह श्रीमती पुष्पादेवी बेवा जगदीश सिंह हरनारायण पुत्र शिवपाल महेश कुमार रमेश कुमार व सुरेश कुमार व पुत्रगण रामरत्न सुरेन्द्र कुमार यादव पुत्र रामगुलाम श्रीमती शशी देबी पत्नी रामचन्द्र पुत्री सुन्दर सत्य नारायण पुत्र गोपाल 4189
			Total	0.038	

[फा. सं. NHAI/25016/LA/2018/Notification/PIU/Lucknow/3D2]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th March, 2025

**S.O. 1311(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 4743 (E) Dated: 29 October 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (4 lane/ Six Laning, etc.), maintenance, management and operation of Kanpur-Lucknow NE-6 in the stretch of land from Km. 28.050 to Km. 73.700 in the district of UNNAO in the state of UTTAR PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Hindustan*” and “*Indian Express*” both dated 10 November 2024 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Kanpur-Lucknow Expressway NE-6 in the stretch of land from Km. 28.050 to Km. 73.700 in the district of UNNAO in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: UNNAO		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Purwa</b>					
<b>Village: Kantha</b>					
1	4189	Private	Agriculture	0.038	Vipin Singh Vivek Singh Arun Singh So Jagdish Singh Smt Pushpa Devi Wo late Jagdish Singh Harnarayan So Shivpal Mahesh Kumar Ramesh Kumar Suresh Kumar So Ram Ratan Surendra Kumar Yadav So Ramgulam Smt Shashidevi Wo Ram Chandra Do Sunder Satya Narayan So Gopal 4189
<b>Total</b>				<b>0.038</b>	

[F. No. NHAI/25016/LA/2018/Notification/PIU/Lucknow/3D2]

SHAIKH AMINKHAN, Director